

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 78/2022

(GCMS 2022/272)(212186973283291)

जसवन्त सिंह पुत्र जयमलराम, वार्ड नं. 11 चक 11 एफ बड़ा, ढाणी मु.पो.
मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

तहसीलदार (भू.अ.), कलेक्टर, श्रीगंगानगर




17.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जसवन्त सिंह उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तहसीलदार (भू.अ.), कलेक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2022 को प्रस्तुत करके एक बिन्दु की सूचना चाही गई थी, जो तहसीलदार (भू.अ.), कलेक्टर, श्रीगंगानगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए उसने तहसीलदार (भू.अ.), कलेक्टर, श्रीगंगानगर के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी पर कार्यवाही करते हुए वांछित सूचना अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी जसवन्त सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2022 के द्वारा तहसीलदार (भू.अ.), कलेक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

तहसीलदार भू अभिलेख कलेक्टर, श्रीगंगानगर चक 11 एफ
बड़ा हजारी वल्द लूना, खाता संख्या 21, मुरब्बा नं. 29, 30,
31, 32 इंतकाल नं. 32 व 33 की प्रमाणित प्रति बाबत।


जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर



तहसीलदार (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक राजकाज रैफ. 7074191 दिनांक 09.05.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2022 (IPO 59F 132400) के क्रम में कार्यालय हाजा के पत्रांक-एफ(1-ई)भू.अ./सूचना का अधिकार/2022/8221 दिनांक 20.09.2022 के द्वारा आवेदक को उपलब्ध रिकार्ड की जानकारी देते हुए वांछित सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार कार्यालय के रिकार्ड रूम से प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया। रिकार्ड लिपिक के अनुसार आवेदक ने सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु कार्यालय में आदिनांक तक सम्पर्क नहीं किया है। रिकार्ड लिपिक के अनुसार रिकार्ड रूम, कार्यालय हाजा में चक 11 एफ बड़ा का इंतकाल संख्या 32 व 39 उपलब्ध है, चक 11 एफ के बस्ते के रिकार्ड अनुसार इस चक में इंतकाल संख्या 32 के तीन इंतकाल संख्या 39 के दो इंतकाल उपलब्ध है। सुलभ संदर्भ हेतु कार्यालय हाजा की पत्रावली संलग्न कर सादर प्रेषित है।

-sd-


लोक सूचना अधिकारी
प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
श्रीगंगानगर

चूंकि प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। जिसके अनुसार क 11 एफ के बस्ते के रिकार्ड अनुसार इस चक में इंतकाल संख्या 32 के तीन इंतकाल संख्या 39 के दो इंतकाल उपलब्ध है। इसलिए अपीलार्थी को वांछित सूचना कार्यालय के रिकॉर्ड रूम से

प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया था, परन्तु अपीलार्थी ने आदिनांक रिकॉर्ड रूम में सम्पर्क नहीं किया। अतः प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध रिकॉर्ड का अपीलार्थी को अवलोकन करवा दें और अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(लोक बंधु)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर